

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा

04 अगस्त, 2023 (ई०)

शुक्रवार, तिथि-

[द्वादश (मानसून) सत्र]

13 श्रावण, 1945 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)

प्रारम्भिक-कार्य

--प्रश्नोत्तर--

(01) सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना (यदि हो)।

(02) अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।

(03) शून्यकाल की सूचनाएँ।

--:ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:--

(04) श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23, 02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(05) सर्वश्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, विनोद कुमार सिंह एवं श्री अमित कुमार मण्डल, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23, 02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(06) डॉ० सरफराज अहमद, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23, 02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(07) डॉ० लम्बोदर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23, 02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(08) श्री उमाशंकर अकेला, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक 01-08-23, 02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(09) श्री मथुरा प्रसाद महतो,स0वि0स0 एवं श्री सुखराम उरौंव, स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(10) श्री बिरंची नारायण,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(11) श्री कमलेश कुमार सिंह,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण- सूचना तथा उसपर सरकार (कृषि,पशुपालन एवं सहकारिता विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(12) श्री विकास कुमार मुण्डा,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ऊर्जा विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(13) श्री राज सिन्हा,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-02-08-23 एवं 03-08-2023 से स्थगित)

(14) श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण -सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य,चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-03-08-2023 से स्थगित)

(15) श्री दशरथ गागराई,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-03-08-2023 से स्थगित)

(16) डॉ0इरफान अंसारी, श्री मंगल कालिन्दी एवं श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-03-08-2023 से स्थगित)

(17) श्री निरल पुरती,स0वि0स0 की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-03-08-2023 से स्थगित)

(18) श्री अमित कुमार मण्डल,स0वि0स0की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह,कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक-03-08-2023 से स्थगित)

- (19) श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (पथ निर्माण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (20) श्री रामदास सोरेन, स०वि०स० एवं श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (21) सर्वश्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, उमाशंकर अकेला एवं श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (22) श्री केदार हजरा, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)की ओर से वक्तव्य।
- (23) श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, स०वि०स०की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग)की ओर से वक्तव्य।

-:समितियों का गठन:-

- (24) झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।

-: सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

- (25)-प्रभारी वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि “भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में, मैं 31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा (प्रतिवेदन) अनुपालन एवं निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन “राज्य वित्त” जिसे विधान सभा के समक्ष रखने हेतु भारत सरकार के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजा है, की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ तथा इस क्रम में प्रभारी वित्त मंत्री पुनः प्रस्ताव करेंगे कि विधान-सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उन पर लोक लेखा समिति द्वारा परिनिरीक्षण किए जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।
- (26) झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (27) याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: विधायी कार्य :-

“झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023”

- (28) प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग श्री बन्ना गुप्ता, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (29) प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग श्री बन्ना गुप्ता, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (30) प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग श्री बन्ना गुप्ता, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023” पर विचार हो।
- (31) प्रभारी मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग श्री बन्ना गुप्ता, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2023” स्वीकृत हो।

“झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023”

- (32) प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023” को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।
- (33) प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग डॉ० रामेश्वर उराँव, उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (34) प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023” पर विचार हो।
- (35) प्रभारी मंत्री, वाणिज्य कर विभाग डॉ० रामेश्वर उराँव, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023” स्वीकृत हो।

-: गैर-सरकारी संकल्प :-

- (36)- लोकहित के विषयों पर गैर-सरकारी संकल्प।

(संकल्प की सूची अलग से वितरित की जा रही है।)

-: प्रश्नों के संबंध में विवरण :-

(37)- वर्तमान सत्र में प्राप्त प्रश्नों के विवरण का सभा नेता द्वारा पढ़ा जाना।

(38)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

(39)- अध्यक्ष द्वारा समापन भाषण।

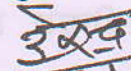
सैयद जावेद हैदर

प्रभारी सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२३-.....२११०/वि०स०, राँची, दिनांक-.....०३/०८/२३.....

प्रतिलिपि:-माननीय सदस्यगण, झारखण्ड विधान-सभा, राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव, झारखण्ड/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ लोकसभा, नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


०३/०८/२०२३

(हरेन्द्र कुमार साह)

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२३-.....२११०/वि०स०, राँची, दिनांक-.....०३/०८/२३.....

प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय को कृपया: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


०३/०८/२०२३

उप सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०५/२०२३-.....२११०/वि०स०, राँची, दिनांक-.....०३/०८/२३.....

प्रतिलिपि:-झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाइट शाखा/ पुस्तकालय शाखा, जनसम्पर्क शाखा एवं झारखण्ड विधान-सभा टी०वी० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


०३/०८/२०२३

उप सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

गोपी कृष्ण भगत/

०३.०८.२३